न्यायालय जिला कलेक्टर (आर्बिट्रेटर) सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र. (आंर्बिट्रेशन) संख्या 29/20 **वर्ष 2020**

GCMS No- 2020/00114

बउनवानीः—1.रूपचन्द सोयल पुत्र रामनारायण खटीक नि.सुभाष नगर रेल्वे कॉलोनी,स0मा0

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक परियोजना क्रियान्वयन, ईकाई कार्यालय पटेल नगर, अनाज मण्डी रोड़ सवाईमाधोपुर,

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,64 राईटू फेयर कम्पेशेशन एण्ड ट्रांसपेरेंसी इन लेण्ड एक्यूजेशन रिहेबिलिटेशन एण्ड दी सेटलमेंट एक्ट,2013 बाबत एन.एच.148 एन. के तहत ग्राम खिजूरी तहसील सवाईमाधोपुर की अवाप्तशुद्वा भूमि खसरा नम्बर 1604/2379 रकबा 0.46 है0 मे से 0.25 है0 भूमि का अवार्ड आवासीय दर से देने बाबत।

उपस्थितः—1. श्री रामस्वरूप साहू — वकील प्रार्थी
2. श्री दीपक शर्मा — वकील अप्रार्थी 2

—: निर्णय :— **दिनांकः— 19.10.2023**

प्रार्थी द्वारा यह अन्तर्गत धारा,64 राईटू फेयर कम्पेशेशन एण्ड ट्रांसपेरेंसी इन लेण्ड एक्यूजेशन रिहेबिलिटेशन एण्ड दी सेटलमेंट एक्ट,2013 बाबत एन.एच.148 एन. के तहत ग्राम खिजूरी तहसील सवाईमाधोपुर की अवाप्तशुद्वा भूमि खसरा नम्बर 1604/2379 रकबा 0.46 है0 का अवार्ड कृषि भूमि की दर से देने बाबत जारी नोटिस कमांक भूमि अवाप्ति/एन.एच.148एन./2019/439 दिनांक 12.02.2020 को निरस्त करवाने बाबत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया साथ ही विपक्षीगणों की भी तलवी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन.के. (दिल्ली—बडौदरा एक्सप्रेस वे के 236 से 304 किमी निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या क.अ. 2306 (अ)दिनांक 6.6.2018 द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को भूमि अवाप्ति अधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया था। दिनांक 4.1.2019 को धारा 3डी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अन्तर्गत एक अधिसूचना जारी की गयी जिसके द्वारा प्रार्थी की भूमि ख0न0 1604/2379 रकबा 0.46 है0 वाके ग्राम खिजूरी का भी अधिग्रहण किया जाकर उक्त भूमि की अवार्ड राशि कृषि भूमि की दर से पारित किया गया है जबकि उक्त भूमि मे से प्रार्थी की 0.25 है0 भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तित है जिसका अवार्ड आवासीय दर से दिये जाने बाबत वकील प्राथी द्वारा निवेदन किया गया है। यह तर्क भी दिया कि अवाप्त भूमि कि किस्म आवासीय होने को लेकर प्रार्थी द्वारा [illegible] करा दी गयी है लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी तरह की कोई सुन[illegible] की गयी है। अतः ख0न0 1604/2379 रकबा 0.46 है0 मे से 0.25 है0 भूमि का [illegible] आवासीय दर से दिलवाये जाने हेतु संशोधित अवार्ड जारी कर[illegible] [illegible] दौराने बहस निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:45:56 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सवाईमाधोपुर जिलें मे ए.एच.148एन के कि.मी. 236 से कि.मी.304.4 तक के निर्माण (चौडीकरण/ पेव्ड शोल्डर सहित 2–लेन/4–लेन का बनाना आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचलन के लोक प्रयोजन के लिये भूमि अवाप्ति की कार्यवाही हेतु अवाप्ति अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 की धारा 3 के खण्ड (क) के अन्तर्गत सड़क एवं परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.2306(अ) दिनांक 5.6.2018 द्वारा नियुक्त किया गया है तत्पश्चात राजमार्ग के प्रावधान 3(ए) की अधिसूचना दिनांक 21.8.2018 को अधिसूचना जारी की गयी जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र में दिनांक 23.8.2018 को प्रकाशित किया गया। दो समाचार पत्र ''दैनिक भास्कर ''एवं ''राजस्थान पत्रिका ''में दिनांक 8.9.2018 को किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 3 ए के नोटिफिकेशन जारी होने के 21 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति की सुनवायी सक्षम अधिकारी कर सकता है। जिसके परिप्रेक्ष्य मे जो आपत्तियॉ प्रस्तुत की गयी उनका धारा 3 सी के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारण किया जाता है। उसके पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा 3 डी की उपधारा 1 के अन्तर्गत अवाप्त की जाने वाली भूमि की अधिसूचना जारी करने हेतु रिपोर्ट भेजी गयी जिसके आधार पर दिनांक 4.1.2019 को धारा 3(डी) की अधिसूचना जारी की गयी जिसमे अवाप्त भूमि की *किस्म चाही–4 (सिंचित)* दर्ज करते हुए स्वामित्वधारी का उल्लेख किया गया। इस अधिसूचना के राजपत्र मे दिनांक 7.1.2019 को प्रकाशन पर उक्त अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर आत्यान्तिक रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो जावेगी। अधिसूचना जारी कर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर दिनांक 12.6.2019 को अवार्ड पारित कर दिया गया है। उक्त अवार्ड राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा–3ए की अधिसूचना से तीन वर्ष पूर्व में सम्पादित विक्रय विलेखो की संख्या के अधिकतम दर के आधे विक्रय पत्रों की औसत दर एवं प्रत्येक ग्राम की डीएलसी दर का संज्ञान लेते हुए बाजार मूल्य निर्धारित किये गये है प्रार्थी की अवाप्त भूमि का अवार्ड उसके पक्ष मे जारी किया जा चुका है। सर्वे कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम खिजूरी की कृषि भूमि ख0न0 1604/2379 रकबा 0.46 है0 का अवार्ड राशि 11,48,117/–रू प्रार्थी के नाम जारी किया है। अवार्ड पारित करते समय प्रार्थी की भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ नही थी उक्त भूमि की किस्म चाही–4 थी उसी के अनुरूप प्रार्थी की अवाप्त भूमि का अवार्ड पारित किया गया है अवाप्ति के समय प्रार्थी द्वारा कोई सम्परिवर्तन आदेश इत्यादि पेश नही किया था। इसलिए राजस्व रिकार्ड में दर्ज किस्म के अनुसार प्रार्थी को अवार्ड दिया गया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र तथ्यहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने बाबत वकील अप्रार्थीगण ने द्वारा जवाब/बहस में निवेदन किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:45:56 IST
Reason: SelfAttested

(2)

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

वकील उभय पक्षो की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में ग्राम खिजूरी के ख0न0 1604/2379 रकबा 0.46 है0 भूमि एन.एच.148 के निर्माण हेतु अवाप्त हुई है जिसकी डीएलसी दर 7,000,95/–रू प्रति है0 के हिसाब से अवाप्त रकबा 0.46 है0 की अवार्ड राशि 11,48,117/–रू का भुगतान प्रार्थी को किया गया है। किन्तु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 मे ख0न0 1604/2379 रकबा 0.46 है0 मे से 0.25 है0 भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन होने का नामा0 संख्या 1231 नि.दि. 10.2.2020 का नोट अंकित है। उक्त जमाबन्दी के अनुसार उक्त अवाप्त भूमि ख0न0 1604/2379 रकबा 0.46 है0 मे से 0.25 है0 भूमि का अवार्ड आवासीय दर एवं शेष भूमि रकबा 0.21 है0 का अवार्ड कृषि भूमि के हिसाब दिया जाना चाहिए। इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस मे अंकित तथ्यों/दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थी की अवाप्त भूमि ख0न0 1604/2379 रकबा 0.46 है0 मे से 0.25 है0 भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तित नही होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नही किया गया है। ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा पारित अवार्ड विधिसम्मत प्रतीत नही होने के कारण प्रार्थी के पक्ष मे ख0न0 1604/2379 रकबा 0.46 है0 के संबंध पारित अवार्ड का पुनः परीक्षण करवाया जाना उचित समझता हूँ।

उक्त विवेचन के आधार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रकरण भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि प्रार्थी की सम्परिवर्तित भूमि ख0न0 106/2379 रकबा 0.25 है0 से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य यथा सम्परिवर्तन आदेश इत्यादि की प्रति बतौर सबूत लिया जावे एवं प्रार्थी को सुनवायी का समुचित अवसर दिया जावे। यदि एन.एच.148 के निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति की कार्यवाही से पूर्व उक्त भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन हो गया हो किन्तु किसी कारणवश राजस्व रिकार्ड (जमाबन्दी) मे अंकन नही हुआ हो तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी की अवाप्त भूमि को आवासीय भूमि मानते हुए पुनः आवासीय दर से नियमानुसार अवार्ड पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.10.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:45:56 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाईमाधोपुर

Scanned with OKEN Scanner